न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00049

अमर सिंह आत्मज गोदपुत्र धीरसिंह जाति राजपूत निवासी दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सूरज सिंह आत्मज मदनसिंह निवासी दुडकली रामगंजमण्डी ।
2. डूंगर सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
3. मानसिंह आत्मज भंवर सिंह ।
4. गुमान सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
5. प्रहलाद सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
6. केलबाई पुत्री भंवर सिंह ।
7. प्रकाश बाई पुत्री भंवर सिंह ।
8. महावीर सिंह आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
9. चन्द्रपाल सिंह आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
10. रघुवीर सिंह उर्फ पप्पू आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
11. लाडकंवर बेवा तंवर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. रामजमल आत्मज प्रभूलाल जाति अहीर निवासी भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दुडकली में कुल 05 किता की 7.16 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम दडिया में कुल 03 किता की रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम सारनखेडी में कुल 05 किता की 19 बीघा 19 बिस्वा एवं 06 किता की 3.24 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण का शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी अपने चाचा धीर सिंह के जीवनकाल में ही गोदपुत्र के रूप में चला गया उसी के अनुसार गोदपुत्र के समय से ही वादी का नाम ग्राम सारनखेडी की आराजी में हिस्सा बाबत् दर्ज हुआ तथा वादी ने गोदपुत्र की हैसियत से ही राजबाई की देखभाल सेवा आदि की। वादी ही धीरसिंह की सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की आराजी पर राजबाई के जीवनकाल से ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में काबिज काश्त है । वादी के वास्तविक पिता मदन सिंह द्वारा वादी का नाम ग्राम दडिया में इसलिए दर्ज नहीं करवाया गया क्योंकि वादी राजबाई का गोदपुत्र हो चुका था तथा राजबाई की समस्त 1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त रहा । ग्राम दुडकली की आराजी में वादी का नाम वास्तविक पिता के नाते बराबर का हिस्सा दर्ज चला आ रहा है । इसी प्रकार ग्राम सारंगखेडी की आराजी जो कि वादी के नाम खाते में दर्ज रही । वादी के वास्तविक पिता द्वारा धीरसिंह की मृत्यु के बाद धोखे से सम्पूर्ण आराजी को स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि ग्राम सारनखेडी की आराजी पुश्तैनी होने से वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी की माता राजबाई का नाम इन्द्राज किया जाना चाहिए था । मौखिक रूप से सम्पूर्ण भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त चलता आ रहा है । ग्राम दुडकली व दडिया की आराजी में मृतक राजबाई के वारिसान के रूप में वादी के नाम के साथ–साथ समस्त प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया गया है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है । ग्राम दुडकली की कुछ भूमि डूब क्षेत्र में चली जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई एवं मुआवजा राशि तय कर जारी कर दी गई । उक्त मुआवजा राशि में से वादी 1/2 हिस्सा, प्राप्त करने का अधिकारी है । यह कि वादी द्वारा स्वयं सारगखेडी में खसरा नम्बर 192 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि क्रय की हुई है जिसका एकमात्र मालिक वादी है । प्रतिवादी सूरज सिंह द्वारा ग्राम दडिया की कुछ आराजी प्रतिवादी क्रम 12 को बिना वादी की सहमति एवं विभाजन किये बिना बेचान कर दी है । वादी धीरसिंह के गोदपुत्र चले जाने एवं राजबाई की मृत्यु उपरान्त सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन करते हुए वादी के पक्ष में ग्राम सारंगखेडी की 192 की रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा आराजी को छोडते हुए ग्राम दुडकली व दडिया की सम्पूर्ण आराजी का 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज किया जावे तथा वादी को ग्राम सारंगखेडी की सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के विभाजन होने तक वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 12 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का क़थन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 के द्वारा वादी का वादपत्र एंव प्रतिवादी कम 12 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1, 2 व 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध तय कर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अपीलान्ट व उसके गवाहान ने यह पूर्ण रूप से साबित कर दिया था कि वादी धीरसिंह का गोदपुत्र है और वादी धीरसिंह के 1/2 हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है फिर भी दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । तनकीयात की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । वादी ने अपना पक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध कर दिया था । वादी धीरसिंह का गोदपुत्र है और उनके 1/2 हिस्से की आराजी को प्राप्त करने का अधिकारी है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है। वादी की मौखिक एवं दस्जावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया गया है। अधिग्रहण एजेन्सी के द्वारा भी वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा माना है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । धीरसिंह और राजबाई से रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अतः अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को गोदपुत्र बताते हुए दावा पेश किया है । गोद के बाबत् कोई भी निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता । वादी को सक्षम सिविल न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा परीक्षण न्यायालय में यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि वादी अपने चाचा धीरसिंह के जीवनकाल में ही गोदपुत्र के रूप में चला गया था इस कारण उन्हें वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2039–42 प्रदर्श – 01 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम दडिया की कुल 03 किता की 27 बीघ 04 बिस्वा भूमि भंवर सिंह, सूरज सिंह, मदनसिंह हिस्सा 1/2 राजबाई बेवा धीरसिंह के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2014–2033 प्रदर्श–2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सारंगखेडी की कुल 03 किता की 10 बीघा 04 बिस्वा आराजी अमरसिंह के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सारंगखेडी की कुल 06 किता की 3.24 हैक्टर भूमि भंवर सिंह, अमरसिंह, सूरजसिंह पिसरान मदन सिंह के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श–4 के अनुसार ग्राम दुडकली की कुल 05 किता की 1.26 हैक्टर आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2004–2024 प्रदर्श– 5 के अनुसार ग्राम दडिया की कुल 04 किता की रकबा 4.40 हैक्टर भूमि भंवरसिंह, सूरजसिंह पिसरान मदन सिंह हिस्सा 1/2 राजबाई बेवा धीरसिंह हिस 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2004–2024 प्रदर्श–6 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सारंगखेडी की कुल 04 किता की 3.19 हैक्टर भूमि अमर सिंह, पुत्र धीरसिंह के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 7 के अनुसार ग्राम दुडकली की कुल 05 किता की 1.26 हैक्टर भूमि पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । खसरा तरमीम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 8, नकल जमाबन्दी संवत् 2007–10 प्रदर्श– 09, ग्राम पंचायत रीछडिया का प्रमाण पत्र प्रदर्श– 10 एवं वारिस,प्रमाण पत्र प्रदर्श– 11 के रूप में पत्रावली में संलग्न हैं ।

12. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– ए–2 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम दुडकली की कुल 05 किता की 07.16 हैक्टर भूमि भंवर सिंह, अमरसिंह, सूरजसिंह पिसरान मदन सिंह, राजबाई बेवा धीरसिंह के संयुक्त खाते में दर्ज है ।

13. वादी ने इस दावे के माध्यम से स्वयं को धीरसिंह का गोदपुत्र घोषित करवाकर हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही है परन्तु गोदपुत्र की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

15. निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00049

अमर सिंह आत्मज गोदपुत्र धीरसिंह जाति राजपूत निवासी दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. सूरज सिंह आत्मज मदनसिंह निवासी दुडकली रामगंजमण्डी ।
2. डूंगर सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
3. मानसिंह आत्मज भंवर सिंह ।
4. गुमान सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
5. प्रहलाद सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
6. केलबाई पुत्री भंवर सिंह ।
7. प्रकाश बाई पुत्री भंवर सिंह ।
8. महावीर सिंह आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
9. चन्द्रपाल सिंह आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
10. रघुवीर सिंह उर्फ पप्पू आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
11. लाडकंवर बेवा तंवर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. रामजमल आत्मज प्रभूलाल जाति अहीर निवासी भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 07/दावा/2013

अमर सिंह आत्मज गोदपुत्र धीरसिंह जाति राजपूत निवासी दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. सूरज सिंह आत्मज मदनसिंह निवासी दुडकली रामगंजमण्डी ।
2. डूंगर सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
3. मानसिंह आत्मज भंवर सिंह ।
4. गुमान सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
5. प्रहलाद सिंह आत्मज भंवर सिंह ।
6. केलबाई पुत्री भंवर सिंह ।
7. प्रकाश बाई पुत्री भंवर सिंह ।
8. महावीर सिंह आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
9. चन्द्रपाल सिंह आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
10. रघुवीर सिंह उर्फ पप्पू आत्मज स्व0 तंवर सिंह ।
11. लाडकंवर बेवा तंवर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. रामजमल आत्मज प्रभूलाल जाति अहीर निवासी भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.12.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा